न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 370/12 (वाद)

1. श्रीमती लेहरीबाई पुत्री हरचन्द पत्नी गोकल जाति बोला (रेगर) निवासी सनवाड हाल तस्वारिया, तहसील चितौडगढ, जिला चितौडगढ।
2. कालू पिता नारायण जाति बोला (रेगर) निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री हरलाल पिता लक्ष्मण जाति रेगर, निवासी रेगर कॉलोनी, टाउन हॉल बाबा रामदेव जी मंदिर के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री मोहन पिता लक्ष्मण जाति रेगर, निवासी रेगर कॉलोनी, टाउन हॉल बाबा रामदेव जी मंदिर के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री अर्जुन पिता लक्ष्मण जाति रेगर, निवासी रेगर कॉलोनी, टाउन हॉल बाबा रामदेव जी मंदिर के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. नायब तहसीलदार, उप तहसील सनवाड, जिला उदयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मनीष कुमार तम्बोली, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 31.01.2019

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड, पटवार सर्कल सनवाड, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1125 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1131 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1133 रकबा 15 बिस्वा कुल कीता 3 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्वर्गीय लक्ष्मणजी बोला (रेगर) के नाम पर अंकित है, लक्ष्मणजी रेगर का स्वर्गवास हो चुका है। जमाबन्दी की नकल संलग्न है।
2. यह कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

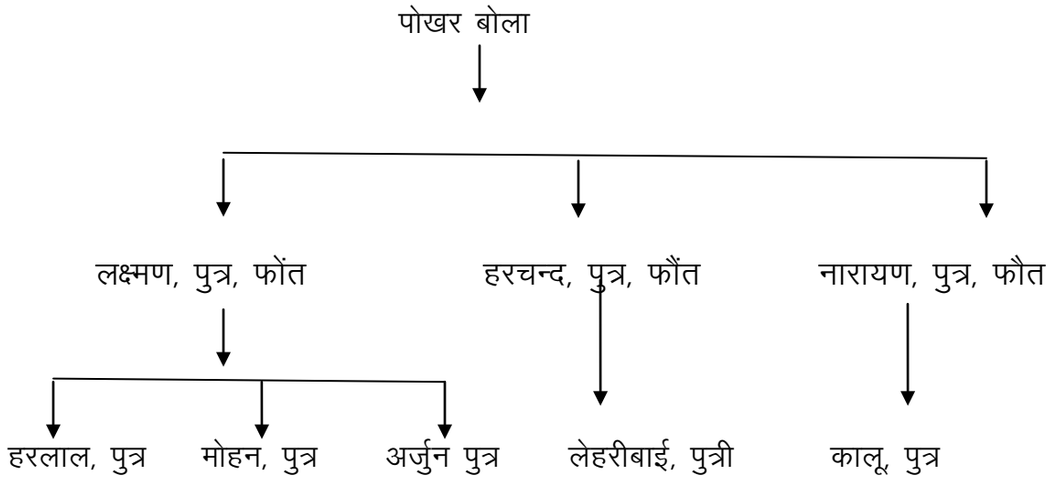

3. यह कि उक्त कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात के स्वामी हम वादीगण के दादाजी स्व. पोखरजी थे और पोखरजी के तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता लक्ष्मणजी, मुझ वादी संख्या एक के पिता हरचन्दजी व वादी संख्या दो के पिता नारायणजी हुए और लक्ष्मण, हरचन्द, नारायण तीनों का स्वर्गवास हो चुका है। चूंकि उक्त भूमि पोखरजी की थी और पोखरजी व इनके तीनों पुत्र लक्ष्मण, हरचन्द, नारायण तीनों ही संयुक्त परिवार में रहते थे इसलिए पोखरजी ने उक्त भूमि अपने बडे पुत्र लक्ष्मण जी के नाम पर करवा रखी थी परन्तु कब्जा पोखरजी ने अपने जीवनकाल में ही अपने तीनों ही पुत्रों लक्ष्मण, हरचन्द, नारायण को 1/3 – 1/3 हिस्सानुसार सिपुर्द कर दिया और तभी से अर्थात वगत 60 से अधिक वर्षों से उक्त भूमि पर हम वादीगण अपने पिताजी के जीवनकाल से ही हिस्सानुसार अर्थात 1/3 हिस्से पर से वादी संख्या एक 1/3 हिस्सा पर में वादी संख्या दउो एवं 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या एक से तीन काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और वर्तमान में भी इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है। और कानूनन भी विगत 60 वर्षों से अधिक वर्षों से अपने पूर्वजों के जीवनकाल से उक्त भूमि पर लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की जानकारी में काबिज हो काश्त करने से एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके है इसलिए हम वादीगण उक्त कलम संख्या एक में वर्णित भूमि के 1/3 को में वादी संख्या एक व 1/3 हिस्सा को में वादी

संख्या दो अपने नाम पर घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में स्वतन्त्र रूप से अंकन करवाने के अधिकारी है।

4. यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से तीन एक ही खानदान के होकर हमारे मौरूस अर्थात मुझ वादी संख्या एक के पिता हरचन्द जी व मुझ वादी संख्या दो के पिता नारायणजी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता लक्ष्मण जी आपस में सगे भाई थे एवं उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् का बंटवारा मौके पर हमारे दादाजी पोखरजी ने अपने जीवनकाल में ही तीनों पुत्रों के मध्य 1/3– 1/3 हिस्सानुसार कर दिया था एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज हो काश्त रहे थे और लक्ष्मण, हरचन्द, नारायण का स्वर्गवास होने पर हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपरोक्त हिस्सानुसार मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है एवं प्रतिवादीगण जो की विगत 40 से अधिक वर्षों से गांव छोडकर उदयपुर में बस गये है एवं वही पर निवास कर रहे है इसलिए इनके 1/3 हिस्सा भूमि पर भी हम वादीगण मौके पर काश्त करते आ रहे है इसलिए हम वादीगण उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा करवा कर अपने अपने हिस्से की भूमि अर्थात् मुझ वादी संख्या 1 के हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 के हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि को स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

5. यह कि चूंकि हमारे दादाजी पोखर जी ने उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि को अपने बडे पुत्र लक्ष्मण के नाम पर अलोट करवा दी। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी लक्ष्मण जी के नाम पर अंकित है और लक्ष्मण जी का स्वर्गवास हो चुका है। और लक्ष्मण जी के तीनों पुत्र विगत 40 से अधिक वर्षों से गांव छोडकर उदयपुर में ही परिवार सहित निवास कर रहे है और इनका उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है परन्तु वर्ममान में जमीनों के भाव बढ चूंके है जिससे भूमाफिया लोग उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि जिस पर हम वादीगण हिस्सानुसार काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है खुर्द बुर्द करना चाहते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भी उक्त भूमि को विक्रय करने पर

आमादा है जिनका इनको कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि को ताफैसला वाद किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नही करे न मौके से हमे बेदखल करे और हम वादीगण को शांतिपूर्वक हमारे हिस्से की भूमि पर काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

6. यह कि वादीगण का प्राइमाफेसी कैस है क्योंकि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी और हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन के दादाजी पोखर जी ने तत्कालीन समय लक्ष्मण जो परिवार में बडा पुत्र था के नाम पर एलोट करवा दी परन्तु उक्त जमीन का बंटवाडा मौके पर अपने तीनों पुत्रों के मध्य समान रूप से 1/3– 1/3 हिस्सानुसार कर दिया था तब से निरन्तर निर्बाध रूप से हम वादीगण के पिता एक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता उनके जीवनकाल तक एवं उनके स्वर्गवास पश्चात् हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा हिस्सानुसार उपयोग उपभोग में लाई जा रही है सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमि पर पूर्व में हमारे पिता व उनके स्वर्गवास पश्चात् हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की जानकारी में लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज हो उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी हमारे कब्जे काश्त में है किन्तु वर्तमान में कृषि भूमियों के भाव बढ जाने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विगत 40 वर्षों से गांव छोडकर उदयपुर में बस जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में फितुर उत्पन्न हो गया है। तथा वे राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मात्र अपने पिता का नाम होने का फायदा उठा उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बक्षीस कर देगे तो उनके द्वारा किये गये इस प्रकार के अवैधानिक कार्य से जो क्षति हम वादीगण को होगी उसका मूंल्याकन रूपये पैसों में किया जाना असम्भव है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को किसी प्रकार की क्षति नही होगी।

7. यहकि हम वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध वादपत्र कारण दिनांक 08.12.12 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 ने उक्त हमारी कब्जेसुदा भूमि जो वर्तमान में भी हमारे ही कब्जे काश्त में है उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी दी और जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर उतारू हुए उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर जारी है।

8. अतः वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मुझ वादी संख्या एक के नाम पर एवं 1/3 हिस्सा भूमि मुझ वादी संख्या दो के नाम पर घोषित फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में स्वतन्त्र रूप से अंकन फरमाई जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन व चार, पांच के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या एक से तीन कलम संख्या एक में वर्णित भूमि को ताफैसला वाद किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नही करें, न हम वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न हमे मौके से बेदखल करे और हम वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें। और यदि प्रतिवादी संख्या एक से तीन उक्त भूमि को विरासत से अपने नाम पर अंकन करवाने हेतु कोई दस्तावेज प्रतिवादीसंख्या चार पटवारी साहब के यहां प्रस्तुत करे तो पटवारी साहब ताफैसला वाद इनके पक्ष में नामान्तरकरण नही खोले एवं यदि प्रतिवादीगण उक्त भूमि विक्रय बाबत कोई दस्तावेज प्रतिवादी संख्या पांच उप पंजीयक महोदय सनवाड के यहां प्रस्तुत करे तो प्रतिवादी संख्या पांच पंजीयन नही करे एवं रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। उक्त वादी की कलम संख्या एक में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का बंटवाडा करवाया जाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि में से मुझ वादी संख्या एक के हिस्से में 1/3 एवं वादी संख्या दो के हिस्से में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन के हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि को हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन के नाम पर स्वतन्त्र रूप से अंकित फरमाई जावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 नियत पेशी दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ है जिसके कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा।

10. प्रकरण में वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 प्रदर्श 1 पेश किया।

11. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 1 श्री श्रीमती लेहरीबाई पुत्री हरचन्द पत्नी गोकल जाति बोला (रेगर) निवासी सनवाड हाल तस्वारिया, तहसील एवं जिला चितौडगढ पेश किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण के वाद पत्र में वर्णित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 के पिता के नाम दर्ज है, उक्त भूमि उनके दादा पोखर ने अपने बडे पुत्र लक्ष्मण जी के नाम करवा रखी थी परन्तु कब्जा पोखर जी ने अपने जीवनकाल में अपने तीनों ही पुत्रों लक्ष्मण, हरचन्द, नारायण को 1/3–1/3 हिस्सा अनुसार सिपूर्द कर दिया। लक्ष्मण जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता है, हरचन्द जो कि वादियां संख्या 1 के पिता है तथा नारायण जो कि वादी संख्या 2 के पिता है कि मृत्यु हो चुकी है। वादपत्र अनुसार विगत साठ से अधिक वर्षों से वादीगण अपने पूर्वजो के जीवनकाल से वादग्रस्त भूमि पर लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की जानकारी में काबिज काश्त करने से एडवर्स पजेसन के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुक है। इसलिए वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से में वादी संख्या 1 व 1/3 हिस्से में वादी संख्या 2 अपने को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने अपने वाद के पक्ष में मौखिक साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यू 1 का शपथ पत्र पेश किया। किन्तु वादग्रस्त भूमि के पैतृक सम्पति होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। वादीगण के वाद पत्र के कॉलम संख्या 5 से ही स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि लक्ष्मण पिता पोखर जी के नाम एलोट हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 प्रदर्श 1 से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान मे भी लक्ष्मण पिता पोखर के नाम दर्ज है। इस प्रकार

वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होना सिद्ध नहीं होता हैं। वादीगण ने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि के 1/3 – 1/3 हिस्सें पर वादी संख्या 1 तथा वादी संख्या 2 का कब्जा 60 से अधिक वर्षों से अपने पूर्वजों के जीवनकाल से लगातार बिना किसी बाधा के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की जानकारी में होने से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वयं के खातेदार काश्तकार हो जाने का उल्लेख किया हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई हैं, केवल मौखिक साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पूराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं सिर्फ धारा 63 (1), (4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के प्रावधान ही हैं। आर.आर.टी. 2011 पेज 721 के वृहत् पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वृर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना हैं। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली

बईजलास दीपक मेहता, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती लेहरीबाई पुत्री हरचन्द पत्नी गोकल जाति बोला (रेगर) निवासी सनवाड हाल तस्वारिया, तहसील चितौडगढ, जिला चितौडगढ।
2. कालू पिता नारायण जाति बोला (रेगर) निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री हरलाल पिता लक्ष्मण जाति रेगर, निवासी रेगर कॉलोनी, टाउन हॉल बाबा रामदेव जी मंदिर के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री मोहन पिता लक्ष्मण जाति रेगर, निवासी रेगर कॉलोनी, टाउन हॉल बाबा रामदेव जी मंदिर के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री अर्जुन पिता लक्ष्मण जाति रेगर, निवासी रेगर कॉलोनी, टाउन हॉल बाबा रामदेव जी मंदिर के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. नायब तहसीलदार, उप तहसील सनवाड, जिला उदयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 370/12 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु दीपक मेहता R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.01.2019 को जारी की गई।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली